



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)



जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है सुरक्षाती ॥

केंद्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoe@iolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./06/54/2015/एफ.सी/1347

दिनांक: 28-1-2016

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिण्डन कट कैनल के किनारे 6 लेन हिण्डन एलीवेटेड रोड के निर्माण हेतु 0.6448 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 335 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या-1447/11सी-गाजियाबाद, दिनांक- 12.01.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या-1166/गाजियाबाद/16073/यू०पी०-172/2015, दिनांक- 30.11.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 30.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि चाही गयी सूचना की अधूरी अनुपालना आख्या प्रस्तुत की गयी है।

1. प्रस्ताव के पृष्ठ- 23 में संलग्न प्रस्तावित क्षेत्रफल की गणना अस्पष्ट है।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ-96 पर संलग्न एन०पी०वी० की गणना गलत है।
3. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जारी स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र गलत है।
4. प्रस्ताव में संलग्न प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र की डिजिटल प्रति .kml file की सी०डी० खुल नहीं रही है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अपने कागज/सी०डी० बिना जाँचें ही प्रेषित कर दिया है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके सूचना अक्छी तरह जाँच कर उपलब्ध करायें।


भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

28/1/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ, उ० प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद, उ०प्र०।
4. अधिष्ठात्री अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद, उ० प्र०।
5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली।



(बृजेन्द्र स्वरूप)

वन संरक्षक {केन्द्रीय}